

















# अडाणी-हिंडनबर्ग विवादः पुनर्विचार याचिका दायर

## ● तीन जनवरी के फैसले की समीक्षा का अनुयोध

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर तीन जनवरी के उस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें उसने अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेरफेरी के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था और अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) आरोपों की व्यापक जांच कर रहा है और उसका तरीका विश्वास को प्रेरित करने वाला है। याचिका में दावा जापत्तारा द्वारा दायर का गई है, जो मामले की याचिकाकर्ताओं में से एक थीं। अधिवक्ता नेहा गाठी के माध्यम से याचिका दायर की गई है। पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के मद्देनजर शुरू की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में अदालत को केवल अद्यतन जानकारी दी है, भले ही जांच पूरी हुई हों या अधूरी रही हों, लेकिन उसने किसी भी निष्कर्ष या की गई कार्राई के विवरण का खुलासा नहीं किया है। इसमें कहा गया है, जब तक सेबी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए जाते, तब तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोई नियामक विफलता नहीं हुई है।

हेतुर करने का जारी से सज्जाया अडाणी-हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। याचिका में कहा गया है, तीन जनवरी, 2024 के आशेपित आदेश में स्पष्ट त्रुटियां हैं। इसलिए संबंधित निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने भारतीय व्यापार समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों से संबंधित अडाणी-हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इसके खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सेबी ने उन 24 मामलों में से 22 में अपनी जांच पूरी कर ली है, जहां अडाणी समूह के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। शीर्ष अदालत ने अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर करने के आरोपों से संबंधित अडाणी-हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। याचिका में कहा गया है, तीन जनवरी, 2024 के आर्थिक प्रति आदेश में स्पष्ट त्रुट्यां हैं। इसलिए संबंधित निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने भारतीय व्यापार समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों से संबंधित अडाणी-हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इसके खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेरय-मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी

गिरावट दर्ज हुई थी। हालांकि अडाणी समूह ने सभी आरोपों को झूटा करार देते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया था।

शीर्ष अदालत ने अपने 46 पन्नों के फैसले में कहा था, 'इस मामले के तथ्य सेबी से जांच के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देते हैं।' एक उचित मामले में इस अदालत के पास अधिकृत एजेंसी की ओर से कोई जारी जाच को एसआईटी या सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति है। उसने कहा था, ऐसी शक्ति का इस्तेमाल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जब सक्षम प्राधिकारी जांच करने में स्पष्ट, दुराग्रह और जनबूझकर निर्विक्रयता दर्शाता है। यह फैसला अधिवक्ता विशल तिवारी और एमएल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर तथा अनामिका जयसवाल की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनाया गया था।

क्या एससी-एसटी कानून के अनिवार्य मृत्युदंड प्रावधान के तहत किसी पर मुकदमा चला है: उच्चतम न्यायालय

# जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पंजाब के दो मजदूरों की हत्या करने वाला आतंकवादी गिरफ्तार

## समीर के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच दिल्ली स्थानांतरितः ईडी

# न्यायालय ने उप्र में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर दोक की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अवधि मंगलवार को बढ़ा दी। केजरीवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने सुलतानपुर की एक अधीनस्थ अदालत के समक्ष लंबित आपाधिक मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई।

पीठ ने कहा, अंतरिम आदेश बरकरार रहने दीजिए। यह सब क्या है? ए सभी अप्रासंगिक मामले हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम गौर करें। केजरीवाल पर जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने दो मई 2014 को प्रचार अभियान के दौरान कथित तौर पर कहा था, जो कांग्रेस को बोट देगा, देश के साथ गहरी होगी... जो भाजपा को बोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने किसी धर्म या जाति का नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक दल का उल्लेख किया था और आरपी अधिनियम की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए किसी राजनीतिक दल को नागरिकों का एक वर्ग नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि यह याचिका कानून संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि केजरीवाल के दिए कथित भाषण की कोई वीडियो क्लिप या पूरा प्रतिलेख उपलब्ध हुए बिना क्या उनके खिलाफ धारा 125 के तहत मामला बनाया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि शिकायत में केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था लेकिन पुलिस ने उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कर ली। केजरीवाल ने कहा कि यह पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र जांच किए बिना किया गया। याचिका में कहा गया है कि यह पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को दर्शाता है।

इससे के पोलिक्स उपकरण ने वैज्ञानिक अवलोकन शुरू किया

**बैंगलुरु**। एक्स-रे पोलिसिमेट्री मिशन एक्सपोसेट पर मौजूद भारतीय एक्स-रे पोलिसिमिटर (पोलिक्स) ने अपना वैज्ञानिक अवलोकन शुरू कर दिया है। एक जनवरी को इसकी शुरूआत की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को बताया कि क्रैब पल्सर की एक पल्स प्रोफाइल 15-18 जनवरी के दौरान पोलिक्स द्वारा किए गए अवलोकनों से उत्पन्न हुई है। चमकता तारा क्रैब पल्सर क्रैब नेबुला के केंद्र के पास रहता है और प्रति सेकंड लगभग 30 बार अपनी धुरी पर घूमता है। पोलिक्स पेलोड को 10 जनवरी तक दो चारों में सक्रिय किया गया था और प्रारंभिक स्कैन अवलोकन क्रैब पल्सर के आसपास आयोजित किए गए थे। इस संबंध में डेटा 15-18 जनवरी के दौरान एकत्र किया गया था और पुष्टि के लिए पूरी तरह से समीक्षा की गई थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि डेटा उम्मीदों के अनुरूप है। इसरो ने कहा, यह प्रारंभिक अवलोकन पोलिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मौल का पत्थर है, जो पल्सर, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए इसकी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, इस ऊर्जा बैंड में डेटा की पेशकश करने वाले एकमात्र पेलोड के रूप में, पोलिक्स गहरी जानकारी प्रदान करने और खगोलीय एक्स-रे स्रोतों से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। पोलिक्स का डिजाइन और विकास रसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु में एक्स-रे खगोल वैज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किया गया था।

# विवक न्यूज़

ब्रांड ने ज्यायालय से कहा, शुद्ध उधारी सीमा पर विवाद  
लझाने के लिए केसल के साथ बातचीत को तैयार

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ धनशोधन के मामले में जांच अपने दिल्ली कार्यालय को स्थानांतरित कर दी है। ईडी ने कहा कि वानखेड़े को उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की जगह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले वानखेड़े ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक जांच पर अस्थाई रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) से सुक्षा की मांग की है। वानखेड़े के वकील आबाद पॉडा ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पीड़ी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की पीठ के समक्ष ढलील दी कि जांच स्थानांतरित करने की ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। पॉडा ने कहा, शुक्रवार तक, ईडी व्यक्तियों को समन भेजकर अपने मुंबई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कह रहा था। लेकिन अब वानखेड़े की ओर से ऐ याचिका दायर किए जाने के बाद जांच दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है। वकील ने दावा किया कि ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वानखेड़े को बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिले, जिसने पिछले साल उहौं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। ईडी की ओर से वकील हितेन वेनेगांवकर ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जांच स्थानांतरित किए जाने का बचाव किया।

**क्रमाधारक :** हौं सिंह विरचित आराक्षो की लिखने

को सौंपा गया था। हत्याकांड में शामिल नौ आरोपियों में से छह के अधिवक्ता

**कठपुतलियां जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम : डॉ. सिंह**

श्रावस्ती। डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के डॉ. अरविंद

**निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक से न्यायालय का इंकार**



भाषा । नई दिल्ली

रोगों पर पटकथा लिखकर लाने को कहा गया, जिसे बाद में पुतुल नाटक के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता गिरीश प्रसाद मिश्रा व ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी उपस्थित थे। दूसरे दिन प्रतिभागियों ने रददी कागज से कठपुतली निर्माण सीखा। साथ पटकथा को संवादों के रूप में परिवर्तित करना जाना। इसके बाद कई प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नए कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ऐसी समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और इस याचिका को इसी विषय पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

होंगे, जो सीईसी और इसी की नियुक्ति करेगा। उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यदि कानून के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई गई, तो याचिका निरर्थक हो जाएगी।

जब भूषण ने कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया, तो पीठ ने कहा, माफ करें, हम आपको इस मामले में अंतरिम राहत नहीं दे सकते। संवैधानिक वैधता का मामला कभी भी निरर्थक नहीं होता। हम अंतरिम राहत देने के अपने मानकों को जानते हैं। नए कानून में कहा गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय

पापसी और अग्रोध्या से

दोनों नेताओं की उपस्थिति में द्विपक्षीय निवेश संधि, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति-पत्र और भारत-पश्चिम एशिया आर्थिक कॉरिंडोर अपर्दणकारी

विधानसभा चुनावों और नगर निगम चुनावों में आप की जीत के साथ-साथ पंजाब में कांग्रेस सरकार को हटाने से उसकी स्थिति मजबूत हुई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लल्ली ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आगामी लोकसभा केंद्रित करने के साथ, हम इस विकसित परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, हम रामायण संकित पर पर्यटन की योजना प्रचारित कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान के साथ सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा का वर्षां से आने वाले पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशी प्रचार और प्रचार योजना को नजरअंदाज किया जा रहा है।

## राष्ट्रीय फिल्म...

जिसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख

कर दिया,  
भीड़ को  
स के गोले  
वस्था की  
जर दंगा-  
क रूप से  
ख सड़कों  
लिए धातु  
हैं, जिससे  
। क्षेत्र में  
निंदा मेरे  
न द्वारा बंद  
लगा है।

वाहन भी  
हैं क्योंकि  
टर तक  
लेन को  
और ट्रकों  
गया है,  
आवाजाही

पर भारत और यूरूई के बीच अंतर-सरकारी रूपरेख समझौते समेत आठ करार हुए। बयान में कहा गया कि द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बयान में कहा गया है कि भारत ने संयुक्त अब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य समझौतों में डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के गण्डीय अभिलेखागार के बीच एक सहयोग प्रोटोकॉल, विशस्त और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन, तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म - यूपीआई (भारत) और एएनआई (यूरूई) की इंटरलिंकिंग पर एक समझौता शामिल है। इनमें घेरू डेविट/क्रेडिट कार्ड -रूपे (भारत) और जेएवाइडब्ल्यूएन (यूरूई) को इंटर-लिंक करने पर एक समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री ने यूएई के घेरू कार्ड जेएवाइडब्ल्यूएन के जारी होने पर शेख मोहम्मद बिन जायद को बधाई दी। दोनों नेताओं की उपस्थिति में इस कार्ड का

कांग्रेस राजधानी में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने का प्रयास कर रही है। पाठक ने कहा, 'कांग्रेस के पास दिल्ली में शून्य लोकसभा सीटें हैं, उसके पास दिल्ली विधानसभा में शून्य सीटें हैं। एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड में से कांग्रेस ने केवल 9 सीटें जीतीं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक योग्यता के आधार पर भी कांग्रेस पार्टी एक भी सीट की हकदार नहीं है। लेकिन केवल डेटा ही महत्वपूर्ण नहीं है। गठबंधन धर्म के मुताबिक और सम्मान के तौर पर हम कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार हैं। हम आज उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि हम काम पर लग सकें। अगर जल्द ही कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अगले कुछ दिनों में हम छह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे।' 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने दिल्ली की सभी सात सीटों पर कब्जा कर लिया था, कांग्रेस पीछे रही और आप तीसरे स्थान पर रही। हालाँकि दिल्ली

चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, 'लोकसभा के लिए सीटें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय नहीं की जा सकतीं। यदि तुलना की जाए तो हम इस बार दिल्ली में किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में सबसे अधिक तैयार हैं। जब पार्टी के प्रदर्शन की बात आती है, तो हर कोई 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को जानता है। कांग्रेस इसमें थी पांच सीटों पर दूसरे स्थान पर थी।' दिल्ली में आप के साथ गठबंधन के बारे में बोलते हुए लवती ने दोहराया कि एआईसीसी के बरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे, दिल्ली कांग्रेस उसका पालन करेगी।

## वैटिक....

कायथ ने कहा कि अपनी ओर से, हम क्षेत्र में दूर ऑपरेटों के लिए परिचित यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे गंतव्य तक पहुंचने से पहले उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिलहाल, हम अयोध्या को लेकर उनकी प्रारंभिक जिजासा को लेकर उत्साहित हैं। स्थानीय प्रशासन मध्य रूप से घोल मांग प्रबंधन पर ध्यान

भी शामिल है। कट्टेरी दूसरे प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक रीतू जैन ने कहा, प्रवासी भारतीय राम मंदिर और अयोध्या की अपनी यात्रा को यादगार और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाने के लिए यात्रा व्यवस्था, आवास और गहन अनुभवों पर अनुभव साझा करने की मांग रहे हैं। अयोध्या हवाई अड्डा, जिसे अब महर्षि वाल्मीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, जिसका उद्घाटन पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री ने किया था, विदेश से आने वाले आंतरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। हवाई अड्डे का लक्ष्य सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। जैन ने कहा कि न केवल अयोध्या बल्कि बहुतीक्ष्ण राम मंदिर ने देश को वैश्विक माननीयता पर ला दिया है। यह बड़ोतरी विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अपनी जड़ों से गहरे संबंध और इस प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल के पवित्र वातावरण में भाग लेने की इच्छा को दर्शाती है। हालाँकि, विदेशी पर्यटन से जुड़े दूर ऑपरेटों के एक वर्ग ने महसूस किया कि विदेशी राजस्व अर्जक और नौकरी मन्थन का एक बड़ा स्रोत होने के बावजूद

रुपये कर दिया गया है, साउंड डिजाइनर को पुरस्कृत किया जाएगा। एक विशेष जूरी पुरस्कार बंद कर दिया गया है, लेकिन जूरी के पास राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर फिल्म और गैर-फीचर फिल्म श्रेणियों में दो विशेष उल्लेख पुरस्कार देने का पूर्ण विवेक है। गैर-फीचर फिल्म श्रेणी में, कुछ खंडों को बंद कर दिया गया है जबकि अन्य को एक साथ मिला दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है। सर्वश्रेष्ठ मानवविज्ञान/वृन्दावन विज्ञान फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ प्रचार फिल्म, कृषि सहित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय फिल्म, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण/साहसिक फिल्म और सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्मों के खंडों को मिलाकर दो फिल्में बनाई गई हैं। खंड सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र और सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म। पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ-साथ गैर-फीचर श्रेणी में विशेष जरी परस्कार बंद कर दिए गए हैं।





